

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgp1@gmail.com

पत्रांक 1154 / 23 एल.ए.

दिनांक 01 / 06 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय :- जनपद चमोली में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 108/23 एल०ए० दिनांक 13.01.2022 एवं 675/23 एल०ए० दिनांक 28.03.2023। ~~HP/UK/Road/9495/2015 दिनांक 24/10/2017~~

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी०/यू०सी०पी०/०६/७५/२०१६/एफ०सी०/११३५ दिनांक ३१.०८.२०१८ द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार पुनः प्रेषित की जा रही है -

बिन्दु सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	शर्त संख्या -01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल ग्राम कलकोट सिविल सोयम भूमि के 4.20 है० पर यथोचित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु 4.20 है० रू० 11,70,393.00 (रू० ग्यारह लाख सत्तर हजार तीन सौ तिरानन्दे) की धनराशि जमा की जानी है एवं उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जाना है।	आर०टी०जी० के माध्यम से रू० 11,70,393.00 (रू० ग्यारह लाख सत्तर हजार तीन सौ तिरानन्दे) की धनराशि उत्तराखण्ड कैम्पा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। वन विभाग के नाम क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम-कलकोट 4.20 है० सिविल भूमि का नामान्तरण एवं हस्तान्तरण के प्रपत्र एवं चालान की प्रति) पेज न० 1 से 2 तक।
2	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 5/2/2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार क्षेत्र में प्रभावित वृक्षों की गणना के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.6 Open Forest ईको क्लास-V की निर्धारित धनराशि 8,45,000.00 X 2.10 = रू० 17,74,500.00 (सत्तरह लाख चहत्तर हजार पांच सौ) वन विभाग के पक्ष में भुगतान किया जाना है।	आर०टी०जी०एस० के माध्यम से रू० रू० 17,74,500.00 (सत्तरह लाख चहत्तर हजार पांच सौ) एन०पी०वी० की धनराशि उत्तराखण्ड कैम्पा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है।
3	शर्त संख्या -03 के अनुपालन में एन०पी०वी० की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है, उसे जमा करने की बचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है। पेज न० 3।

4	शर्त संख्या 04 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी0वी0 की देया धनराशि समस्त देयकों के भुगतान Online Portal के माध्यम से ऑनलाईन किया जायेगा।	बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी0वी0 का भुगतान Online Portal के माध्यम से ऑनलाईन किया जा चुका है।
5	शर्त संख्या -05 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय का वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)


संलग्न:- चार-चार प्रतियों में।

अतः अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को अग्रसारित कर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।


01.06.2024
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

- प्रतिलिपि - सहायक अभियन्ता,(चतुर्थ) प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जोशीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि - खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

0/C


01.06.2024
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**



Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक 675 / 23 एल.ए.

दिनांक 28 / 03 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय :- जनपद चमोली में अटल आर्दश ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 108 / 23 एल०ए० दिनांक 13.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी०/यू०सी०पी०/०६/७५/२०१६/एफ०सी०/११३५ दिनांक ३१.०८.२०१८ द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार पुनः प्रेषित की जा रही है -

बिन्दु सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	शर्त संख्या -01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल ग्राम कलकोट सिविल सोयम भूमि के 4.20 हे० पर यथोचित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु 4.20 हे० रू० 11,70,393.00 (रू० ग्यारह लाख सत्तर हजार तीन सौ तिरानन्चे) की धनराशि जमा की जानी है एवं उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जाना है।	आर०टी०जी० के माध्यम से रू० 11,70,393.00 (रू० ग्यारह लाख सत्तर हजार तीन सौ तिरानन्चे) की धनराशि उत्तराखण्ड कैम्पा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। वन विभाग के नाम क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम-कलकोट 4.20हे० सिविल भूमि का नामान्तरण एवं हस्तान्तरण के प्रपत्र एवं चालान की प्रति) पेज न० 1 से 2 तक।
2	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 5/2/2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार क्षेत्र में प्रभावित वृक्षों की गणना के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.6 Open Forest ईको क्लास-V की निर्धारित धनराशि 8,45,000.00 X 2.10 = रू० 17,74,500.00 (सत्तरह लाख चहत्तर हजार पांच सौ) वन विभाग के पक्ष में भुगतान किया जाना है।	आर०टी०जी०एस० के माध्यम से रू० रू० 17,74,500.00 (सत्तरह लाख चहत्तर हजार पांच सौ) एन०पी०वी० की धनराशि उत्तराखण्ड कैम्पा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है।
3	शर्त संख्या -03 के अनुपालन में एन०पी०वी० की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है, उसे जमा करने की बचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है। पेज न० 3।

4	शर्त संख्या 04 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी0वी0 की देया धनराशि समस्त देयकों के भुगतान Online Portal के माध्यम से ऑनलाईन किया जायेगा।	बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी0वी0 का भुगतान Online Portal के माध्यम से ऑनलाईन किया जा चुका है।
5	शर्त संख्या -05 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय का वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों।

अतः अनुरोध है कि अनुपालन आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को अग्रसारित करने की कृपा करें।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेष्टवर
28/3/25

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/७५/२०१६/एफ०सी०/११३५

दिनांक: ३१/०८/२०१८

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - चमोली में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम
द्वीग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र
संख्या-1390/FP/UK/ROAD/9495/2015 दिनांक 24.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/9495/2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल
अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर
केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार
जनपद- चमोली में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग
तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की
सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.20 है० ग्राम - कालगोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक
वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये
यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में
हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय
द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये
आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता
अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल
पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य
माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण
द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित
करनी होगी।

अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड

Cont....

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
DEHRADUN

9L

2

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

	PUBLIC WORK DEPARTMENT
	6194950941
No.	8B/UCP/06/75/2017/FC
	UTTARANCHAL
	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
	2944393/-

Amount: Twenty-Nine Lakh Forty-Four Thousand Eight Hundred and Ninety-Three Rupees Only

Payment to be made as per following

Name:	UTTARANCHAL CAMPA
	CORP0000371
Account No.	150896194950941 Valid only for this challan amount.
	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only and is valid only for seven days.

For successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through eskcampa@corpbank.co.in

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date: 22-01-2019

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6194950941
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/75/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	2944893/-

Amount in Words: Twenty-Nine Lakh Forty-Four Thousand Eight Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896194950941 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only and is valid only for seven days.

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

By *[Signature]*

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

28/1/19 *[Signature]*

- आदेश -

क्रम सं०... 874
पत्रावली सं० 23LA
दिनांक 27-02-2020

जनपद चमोली अन्तर्गत जनपद चमोली में आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.100 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.200 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/2016/2017/एफ०सी०/1135 दिनांक 31.03.2018 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी जोशीमठ की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली अन्तर्गत जनपद चमोली में आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.100 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम कलगोठ तहसील जोशीमठ की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०ब्रा०सं०-18 के खसरा सं०-1386 रकबा 4.553 है० भूमि मध्ये 3.730 है० एवं खसरा सं०-1423 रकबा 4.012 है० भूमि मध्ये 0.470 है० भूमि अर्थात् कुल 4.200 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-10(4) भीटा के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII (II) /2012-18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

AE (Jashimath) / LAC

26-2-20
26/2

(स्वाति एस० मशौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 4025/छब्बीस-18 (2011-2012) गोपेश्वर: दिनांक: 25 फरवरी 2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जोशीमठ।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर।

क्र०-874/23 LA दि० 29-02-20

स्वोपेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रतिलिपि -
हाथसंकेत

28-2-20

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR
28/2/20

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

3



Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

एन०पी०वी वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय :-

जनपद चमोली में अटल आर्दश ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि एन०पी०वी० की दरों में जो बढ़ोत्तरी होती है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बड़ी हुई दरों पर वन विभाग के पक्ष में भुगतान किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

4



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

प्रमाण पत्र

विषय :- जनपद चमोली में अटल आर्दश ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1135/12-1, गोपेश्वर, दिनांक

27/09/2018

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में अटल आदर्श ग्राम योजनांतर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम हींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 हे० वन भूमि का वन विनियमन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक 664/FP/UK/Road/9495/2015 दिनांक 08.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार की पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/०६/75/2016/एफ०सी०/1135, दिनांक 08.09.2016 से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार डिमाण्ड मात्र पत्र प्रेषित किया जा रहा है:-

- 1- शर्त सं०-01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.20 हे० ग्राम कालगोट सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रु० 11,70,393.00 (रु० ग्यारह लाख सत्रह हजार तीन सौ तिरानब्ये) मात्र जमा की जानी है, एवं उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जायेगा।
- 2- शर्त सं०-02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिय गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) हेतु देय धनराशि रु० 17,74,500.00 (रु० सत्रह लाख चौहत्तर हजार पांच सौ) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	घनराशि	हे०	देय धनराशि (लाख में) कौलम(3 X 4)
1	2	3	4	5
V	0.6 (Dense forest)	8,45,000.00	2.10	17,74,500.00

- 3- शर्त सं०-03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत करनी होगी।
- 4- शर्त सं० 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं० 01 व 02 में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- 5- शर्त सं०-05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

अतः उक्त प्रकरण में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिशेषित समस्त शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के Forestclearance.nic.in पर online अपने user account में जाकर Stage II Clearance में पहले mutation की detail (यदि लागू हो) भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या online एवं ऑफलाईन (चार हार्ड प्रतियों में) इस कार्यालय को प्रेषित करने का कट करे। तत्पश्चात् विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिनिधि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR